न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 :– 28/2021 तारीख रजू :– 13.07.2021

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1. बदन
2. नंगू
3. रामकरण

पिसरान जयसिंह जाति गुर्जर निवासी खेडली गूजर तहसील सूरौठ जिला करौली
–––––––––––––––––––––––––– प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान –––––––––––– अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट प्रार्थीगण

निर्णय

दिंनाक :– २६-७-२०२१

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के कब्जाकाश्त व खातेदारी की भूमि आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.09 है0, 480 रकबा 0.24 है0, 481 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.17 है0, 620 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में स्थित है। उक्त आराजीयात में बहिस्सा 1/8 भाग प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा खसरा नम्बर 417 रकबा 0.19 है0, 508 रकबा 0.28 है0, 509 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम खेडली गुर्जर में स्थित है। उक्त अराजीयात का बहिस्सा 1/4 भाग प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 230 रकबा 7 बिस्वा, 332 रकबा 1 बीघा, 383 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 446 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील हिण्डौन नवसृजित तहसील सूरौठ में स्थित है। उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण काबिज [illegible] है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण उक्त आराजीयात मुतजिका मद नं01 प्रार्थना पत्र में दर्ज भूमि पर सैंकडों वर्षों से पीढी दर पीढी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं और यही क्रम वर्तमान में बदस्तूर है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.17 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के पिता जयसिंह पुत्र चन्दन का स्वर्गवास हो चुका है और उनके जायज कानूनी वारिसान प्रार्थीगण के नाम विरासत का नामान्तकरण सं0 280 दिनांक 04.02.1983 हल्का पटवारी द्वारा नियमानुसार खोला गया परन्तु हल्का पटवारी से नामान्तकरण भरते समय आकस्मिक साधारण व लिपिकीय भूलवश द्वारा प्रार्थीगण के पिता जयसिंह के नाम के स्थान पर प्रार्थीगण के दादाजी चन्दन का नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया। उक्त नामान्तकरण संख्या 280 में 3 खातों का विरासत का नामान्तकरण खोला गया था। प्रथम खाते में बदन, नंगू रामकरण पिसरान जयसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम तो सही दर्ज किया गया परन्तु उसी नामान्तकरण सं0 280 में 2 खातों में बदन नंगू रामकरण पिसरान चन्दन दर्ज कर दिया, यानि जयसिंह के स्थान पर चन्दन दर्ज कर दिया जो कतई गलत एवं विधि विरूद्ध दर्ज किया है। शेष अंकन सही है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के पिता के नाम के स्थान पर दादाजी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण के हक, हकूकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। प्रार्थीगण उक्त आराजीयात से किसी भी प्रकार की सरकारी व गैरसरकारी सुविधा प्राप्त करने से वंचित हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि सहवन से लिखते समय ऐसी गलती आकस्मिक भूलवश हुई है जो एक साधारण व लिपिकीय गलती है, जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण द्वारा आवश्यक कार्य हेतु जमाबन्दी की नकल ली, तब इस गलती का इल्म हुआ है कि प्रार्थी के नवीन खसरा नम्बर 417, 508, 509 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में प्रार्थीगण के पिताजी का नाम जयसिंह सही दर्ज है परन्तु खसरा नम्बर 416, 480, 481, 619, 620 कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में प्रार्थीगण के पिता जयसिंह के [illegible] प्रार्थीगण के दादा चंदन का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सहवन से लि[illegible] पिताजी के नाम के स्थान पर दादाजी का नाम रिकार्ड में दर्ज हो गया है, जो एक साधारण लिपिकीय त्रुटि है, जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनी रूप से आवश्यक एवं न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.17 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड आदि दस्तावेजात में व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम जयसिंह दर्ज है।

अतः प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरूस्ती पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की बल्दियत चन्दन को दुरूस्त करते हुए उनके स्थान पर सही बल्दियत जयसिंह दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जाकर उक्त आदेश की पालना हेतु तहरीर अप्रार्थी को जारी हो।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र पत्रांक 1465 दिनांक 20.07.2021 पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र क मद नं01 में दर्ज किया है कि ग्राम खेडली गूजर की चालू जमाबन्दी सं0 2070–73 के खाता संख्या 182 खसरा नम्बर 416, 480, 481, 619, 620 कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 में बदन नंगू रामकरण पि0 चन्दन हि01/8 रिकार्ड दर्ज है तथा खाता संख्या 137 में खसरा नम्बर 417, 508, 509 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 में बदन नंगू रामकरण पि0 जयसिंह हि01/4 रिकार्ड दर्ज है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि वादी का खाता संख्या 137 में विरासत नामान्तकरण सही दर्ज हुआ जबकि खाता संख्या 182 में वादी की बल्दियत में पिता जयसिंह के बजाय चन्दन सहवन से विरासत का नामान्तकरण सं0 280 बन्दोवस्त से पूर्व दिनांक 14.02.1983 को दर्ज हो गया।

जबाव प्राथना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि मुताबिक नामान्तकरण सं0 280 (बन्दोवस्त पूर्व) में दर्ज खाता संख्या 47 की विरासत अनुसार खाता संख्या 124 में बल्दियत चन्दन की बजाय जैसिंह (जयसिंह) किया जाना उचित है।

अतः ग्राम खेडलीगूजर की चालू [illegible] संख्या 182 में बदन नंगू रामकरण पि0 चन्दन हि01/8 जाति [illegible] सा[illegible] के बजाय बदन नंगू रामकरण पि0 जयसिंह हि01/8 जाति गूजर सा0देह [illegible] की अनुशंषा की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.17 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 किता 2, फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल, फोटो प्रति नकल नामान्तकरण सं0280 पेश किये हैं।

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 के अनुसार आराजीयात खसरा नम्बर 416 रकबा 0.09 है0, 480 रकबा 0.24 है0, 481 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.17 है0, 620 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में प्रार्थीगण बदन, नंगू, रामकरण पिसरान चन्दन हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। तथा खसरा नम्बर 417 रकबा 0.19 है0, 508 रकबा 0.28 है0, 509 रकबा 0.07 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.54 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर तहसील सूरौठ की खातेदारी बदन, नंगू, रामकरण पिसरान जयसिंह हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं।

नकल नामान्तकरण सं0 280 ग्राम खेडलीगूजर तहसील हिण्डौन जैसिंह पुत्र चन्दन गूजर नि0 ग्राम के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा में बदन, नंगू, रामकरण पिसरान जयसिंह जाति गूजर नि0 ग्राम के नाम भरा गया है तथा इसी नामान्तकरण में कुल किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा में जैसिंह पुत्र चन्दन गूजर नि0 ग्राम के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा में बदन, नंगू, रामकरण पिसरान चन्दन जाति गूजर नि0 ग्राम के नाम भरा गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह [illegible] प्रार्थीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 416 रकबा 0.09 है0, 480 रकबा 0.24 है0, 481 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.17 है0, 620 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में प्रार्थीगण बदन, नंगू, रामकरण पिसरान चन्दन हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार गलत दर्ज रिकार्ड है जबकि प्रार्थीगण के पिता का नाम जयसिंह है। जो उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.17 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण में अन्य खाते का भरा गया है से प्रमाणित होता है एवं तहसीलदार सूरौठ से प्राप्त जबाव के अनुसार भी प्रार्थीगण के पिता का नाम जयसिंह ही है, जिसको राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने की अभिशंषा भी की है। ऐसे हालात में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खसरा नम्बर 416 रकबा 0.09 है0, 480 रकबा 0.24 है0, 481 रकबा 0.23 है0, 619 रकबा 0.17 है0, 620 रकबा 0.17 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.90 है0 वाके ग्राम खेडली गूजर में खातेदार बदन, नंगू, रामकरण पिसरान चन्दन हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार के स्थान पर बदन, नंगू, रामकरण पिसरान जयसिंह हिस्सा 1/8 जाति गुर्जर सा0देह खातेदार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष इन्द्राजात मुताविक राजस्व रिकार्ड बदस्तूर रहेंगे। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 26-7-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anoop Singh
Date: 2021.08.17 13:24:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner